न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/41/2023	2023/332	26.072023	20.11.2024

1. शिवचरण पुत्र श्री घसीटाराम जाति वाल्मिकी निवासी केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

2. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 1121 वाके ग्राम केरवाजाट तह0 व जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री विनोद कुमार शर्मा —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—ः निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 1121 निर्णय दिनांक 27.06.2015 वाके ग्राम केरवाजाट पटवार हल्का खेडली सैयद तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.24 हेक्टेयर वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर मे स्थित है जो अपील में विवादित आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी जो मिन अपीलाण्ट के पिता घसीटा पुत्र भंवरिया जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर में 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी रही है जिसमे मिन अपीलाण्ट प्रार्थी का 1/10 हिस्सा है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित चला आ रहा है। मिन अपीलाण्ट के पिता घसीटा का स्वर्गवास होने पर विवादित आराजी का उनकी विरासत का इन्तकाल संख्या 1121 दिनांक 27.06.2015 को तहसीलदार, अलवर के द्वारा मृतक घसीटा के वारिसान के नाम की जाँच किये बिना ही मिन अपीलाण्ट का नाम शिबली पुत्र घसीटा के नाम खोला गया जबकि शिबली के जगह मिन अपीलाण्ट का नाम शिरचरण अंकित करना चाहिये था क्योंकि मिन अपीलाण्ट का घर मे बोलता हुआ नाम शिबली था क्योकि दस्तावेजात मे अपीलाण्ट का नाम शिचरण था जो आज भी बदस्तुर चला आ रहा है लेकिन तहत अदालत द्वारा मिन अपीलाण्ट को बिना सुने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये व बिना दस्तावेजात प्राप्त किये ही मिन अपीलाण्ट का घर का बोलता हुआ नाम शिबली दर्ज करते हुये इन्तकाल खोल दिया गया और इसी प्रकार से राजस्व रिकोर्ड मे मिन अपीलाण्ट का नाम शिवचरण के स्थान पर शिबली अंकित चला आ रहा है। तहत अदालतं तहसीलदार, अलवर द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किये जाने से पूर्व मृतक घसीटा के वारिसान के सही नाम व दस्तावेज के सम्बन्ध में समस्त जाँच कर इन्तकाल खोला जाना चाहिये था लेकिन तहत अदालत द्वारा अपने कार्यालय मे बैठकर गाँव के लोगों से केवल पुछताछ कर ही अपीलाण्ट का घर का बोलता हुआ नाम शिबली का नाम अंकित करते हुये इन्तकाल खोल दिया गया जो गलत है जबकि मिन अपीलाण्ट का दस्तावेजी सही नाम शिवचरण है एवं मिन अपीलाण्ट मृतक घसीटा का कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है। अपीलाधीन इन्तकाल आदेश गलत होने पर निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल संख्या 1121 दिनांक 27.06.2015 में मिन अपीलाण्ट का गलत नाम शिबली अंकित किये जाने के कारण राजस्व रिकार्ड मे मिन अपीलाण्ट का गलत नाम शिबली ही अंकित चला रहा है जिस कारण मिन अपीलाण्ट के कानूनी हक व हकूक जायल हो रहे है एवं मिन अपीलाण्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है इसलिये इन्तकाल संख्या 1121 आदेश दिनांक 27.06.2015 इसी बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलाण्ट जो एक ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है जिसको यह जानकारी नही थी कि मिन अपीलाण्ट का गलत नाम इन्तकाल संख्या 1121 दिनांक 27.06.2015 मे शिबली अंकित होने के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है। मिन अपीलाण्ट को तहत अदालत के आदेश की जानकारी दिनांक 1711.2022 को होने पर मिन अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकोर्ड मे अपना नाम शिबजी के स्थान पर शिवचरण संशोधित कराये जाने हेतु सहबन से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनाक 30.11.2022 को अदालत उपजिलाधीश महोदय, अलवर जिला अलवर पेश किया गया था चूंकि मिन अपीलाण्ट जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ था कि तहत अदालत तहसीलदार, अलवर द्वारा इन्तकाल आदेश मे ही मिन अपीलाण्ट का नाम गलत अंकित कर दिया गया है जिस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करनी होती है जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा प्राप्त किया तो वकील साहब द्वारा बताया आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी गई जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा तहत अदालत की नकल हेतु आदेश किया जो नकल दिनांक 25.05.2023 को प्राप्त हुई एवं मिन अपीलाण्ट द्वारा रूपयो पैसो का इंतजाम किया गया इस प्रकार तहत अदालत के आदेश दिनांक 27.06.2015 की जानकारी दिनांक 30. 11.2022 तक गुजरे समय को जानकारी के अभाव मे व उसके बाद दिनांक 25.05.2023 को नकल प्राप्त होने की दिनांक तक गुजरे समय को नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह प्राप्त करने मे गुजरे समय को न्यायहित में कन्डोन किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है इसलिये दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्रः अलग पेश है। अतः अपील मिन अपीलाण्ट की ओर पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 1121 आदेश दिनांक 27.06.2015 तहसीलदार, अलवर जिला अलवर को अपास्त कर मिन अपीलाण्ट का नाम शिबली के स्थान पर शिवचरण अंकित कराये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2015 के विरूद्व दिनांक 31.05.2023 को पेश की गयी है जो करीब 07 साल 10 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 1121 वाके ग्राम केरवाजाट पटवार हल्का खेडली सैयद तहसील व जिला अलवर में अपीलाण्ट का नाम शिबली पुत्र घसीटा दर्ज व तस्दीक किया गया है। पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न अपी0 के पहचान पत्र एवं अधार कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपी0 का वास्तविक नाम शिव चरण पुत्र घसीटा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का नाम शिबली पुत्र घसीटा त्रुटिपूर्वक दर्ज व तस्दीक किया गया है, जो कि एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 1121 दिनांक 27.06.2015 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट का नाम शिवचरण नियमानुसार नवीन नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)